RTI

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :एफ4(ई)(आई–244/94)आर.टी.आई./अलेसे–III/ 11762–65 दिनांकः– 17.1.12

श्री इन्द्र लाल सांखला,
कनिष्ठ लेखाकार,
कार्यालय.– पुलिस आयुक्त,
गवर्नमेन्ट हॉस्टल, जयपुर,
पिन कोड नं0–302001

विषयः–	सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने बाबत्।
प्रसंगः–	आपका आवेदन दिनांक 25.11.2011 इस विभाग मे प्राप्ति दिनांक 21.12.2011

विषयान्तर्गत आप द्वारा आर.टी.आई. एक्ट के तहत प्रेषित आवेदन पत्र दिनांक 25.11.2011 (निदेशालय में प्राप्ति दिनांक 21.12.2011) के क्रम मे मांगी गई सूचना का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र.स.	चाही गई सूचना	सूचना का विवरण
1	सूचना का अधिकार अधिनियम–2005, Sect.6(1) के तहत आवेदन किए गए मूल आवेदन प्रपत्र की प्रमाणित फोटो प्रति दो (2)	किस दिनांक के आर.टी.आई. आवेदन पत्र की प्रति चाही गई है। स्पष्ट नहीं है।
2	श्री सांखला, क0लेखाकार द्वारा माह जूलाई 2011 में स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, द्वितीय जयपुर (राज0) मे श्री राजेश केदावत, क0लेखाकार के स्वर्गवास से रिक्त हुए क0लेखाकार के रिक्त पद पर "स्थानीय पदस्थापन" (Local Posting) हेतु श्रीमान निदेशक महो0 कोष एवं लेखा, वित्त भवन, जयपुर एव श्रीमान वित्त सचिव महो0 को लिखा था। छुपाए गए उक्त पत्र की 5 प्रतियॉ। फिर भी उक्त सरकारी रेकर्ड मे उपलब्ध साक्ष्य को नजर अंदाज करके वित्त (राजस्व) विभाग को भेजी गई नोटशीट, ऑफिस नोट एवं वित्त विभाग से बने आई.डी0 नं0 251101198 एवं 251101199 की ऑर्डर शीटों की प्रमाणित प्रतिलिपियॉं 5–5 पॉच–पॉच	कुल 3 पृष्ठ के लिए 6/– रुपये देय है।
3.	छुपाकर रखे गए पत्रांकः– 8817–18 दिनांक 25.10.2011 की 5 प्रतियॉ	आपके द्वारा चाही गई सूचना स्पष्ट नहीं है। संदर्भित पत्र क्रमांक किस कार्यालय/विभाग से संबंधित है, स्पष्ट नहीं है।
4.	छुपाकर रखे गए पत्रांकः– 8801 दिनांक 09.09.2011 की 5 प्रतियॉ	आपके द्वारा चाही गई सूचना स्पष्ट नहीं है। संदर्भित पत्र क्रमांक किस कार्यालय/विभाग से संबधित है, स्पष्ट नहीं है।
5.	छुपाकर रखे गए श्रीमान पुलिस आयुक्त महो0 (मुख्यालय) जयपुर का पत्रांकः– 10641/13.10.2011 की 5 प्रतियॉ	कुल 1 पृष्ठ के लिए 2/– रुपये देय है।
6.	छुपाये जा रहे– श्रीमान पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) महो0 जयपुर के पत्रांकः– 12134 दिनांक 25.11.2011 की 5 प्रतियां।	कुल 1 पृष्ठ के लिए 2/– रुपये देय है।
7	निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, वित्त भवन, राजस्थान के कार्यालय मे उपस्थिति देने वाले कर्मचारियों का "आगन्तुक उपस्थिति रजिस्टर" की दिनांक 08.07.2011 से दिनांक 25.11.2011 तक के पृष्ठों की 5 प्रमाणित प्रतियॉ	कुल 11 पृष्ठों के लिए 2/–रुपये प्रति पृष्ठ की दर से 22/– रुपये देय है।

8.	निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर के अशुद्ध शब्दावली रखते हुए जारी किए गए साजिश एवं षड़यंत्रपूर्ण आदेश क्रमांकः–एफ4(ई)(1)(6)अ.ले.से.III/ आदेश नं0 122/ 2011–12 /7916–9750 दिनांक 20.09.2011 की 5 प्रतियॉ	कुल पृष्ठ 2 के लिए 4/–रुपये देय है।
9.	जानबूझकर सुनियोजित साजिश के तहत जारी षड़यंत्रपूर्ण गुमराहपूर्ण उपर्युक्त आदेश दिनांक 20.09.2011 के 2 माह बाद एवं पत्राचार व कुल रु 60.000/– खर्च करके ऑटो टैक्सी से ढूंढते रहने के बाद दिनांक 23.11. 2011 की वित्त (राजस्व) विभाग से छुपाकर बिना वित्त (राजस्व) विभाग की किसी I.D. No. के जारी किए गए हजारों रुपये की सांखला द्वारा पत्राचार एवं टैक्सी में खर्च 60.000/– फूंकने के बाद श्री सांखला को परपोजल को संशोधन हेतु वित्त (राजस्व) विभाग मे भेजने एवं वापस आने तक इन्तजार करने को झांसा देकर टालमटोल करने के बाद जारी–शुद्ध कार्यालय आदेश (ध्यान रहे, आदेश नहीं) सीमित "संशोधित आदेश" नहीं	कुल 1 पृष्ठ के लिए 2/–रुपये देय है।

आपके द्वारा चाही गई उपरोक्त सूचना के कुल 19 पृष्ठों के 2/–रुपये प्रति पृष्ठ की दर से कुल 38/–रुपये नकद/पोस्टल आर्डर/मनीआर्डर/बैंक ड्राफ्ट द्वारा इस निदेशालय में जमा करावे जिससे वांछित सूचना उपलब्ध कराई जा सके।

यदि आप प्राप्त सूचना/सूचनाओं से संतुष्ट नहीं है तो 30 दिवस की अवधि में प्रथम अपीलीय अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त एवं योजना विभाग) शासन सचिवालय, जयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकते है।

आप द्वारा आर.टी.आई के तहत प्रेषित उपरोक्त आवेदन अपना पता इस निदेशालय का अंकित किया है। जबकि आपका पदस्थापन कार्यालय पुलिस आयुक्त, गवर्नमेन्ट हॉस्टल, जयपुर में है। अतः भविष्य में किये जाने वाले पत्राचार के लिए सही पता अंकित करे।

लोक सूचना अधिकारी
एंव
निदेशक कोष एवं लेखा

क्रमांक :एफ4(ई)(आई–244/94)आर.टी.आई./अलेसे–III/ 11762-65 दिनांकः– 17-1-62

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–
1. संयुक्त निदेशक (प्रशासन) सूचना प्रकोष्ठ कार्यालय हाजा
2. कम्प्यूटर शाखा कार्यालय निदेशालय कोष एवं लेखा वित्त भवन, को वेबसाईट पर डालने हेतु
3. नोटिस बोर्ड कार्यालय निदेशालय कोष एवं लेखा

लोक सूचना अधिकारी
एंव
निदेशक कोष एवं लेखा